



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-19102021-230513
CG-MH-E-19102021-230513

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 478]
No. 478]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 18, 2021/आश्विन 26, 1943
NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 18, 2021/ASVINA 26, 1943

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुम्बई, 30 सितंबर, 2021

सं. टीएएमपी/18/2013-विविध.—पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय में भारत सरकार से प्राप्त पत्र सं. पीआर-14019/16/2021-पीजी दिनांक 16 सितंबर 2021 के अनुसरण में, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्वारा संलग्न आदेशानुसार, 30 सितंबर 2013 को आदेश सं. टीएएमपी/18/2013-विविध द्वारा अधिसूचित 'महापत्तनों में परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु संशोधित दिशानिर्देश, 2013' की वैधता विस्तारित करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

सं. टीएएमपी/18/2013-विविध

कोरम

- (i) श्री टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)
- (ii) श्री सुनील कुमार सिंह, सदस्य (अर्थशास्त्र)

आदेश

(सितंबर, 2021 के 29 वें दिन पारित)

1.1. पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय (एमओपीएसडब्ल्यू) [पोत परिवहन मंत्रालय (एमओएस)] ने अपने पत्र सं. पीआर-14019/16/2012-पीजी दिनांक 9 सितंबर 2013 और 12 सितंबर 2013 द्वारा महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 111 के अधीन महापत्तनों के लिए प्रशुल्क हेतु निर्धारण के लिए संशोधित दिशानिर्देश, 2013 जारी किए थे।

1.2. उक्त महापत्तनों में परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश, 2013 महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 111 के अधीन भारत सरकार द्वारा जारी नीति निदेश के अनुपालन में राजपत्र सं. 254 द्वारा 30 सितंबर 2013 को भारत के राजपत्र में टीएमपी द्वारा अधिसूचित किए गए थे। ये दिशानिर्देश 9 सितंबर 2013 से लागू हुए थे।

2. 2013 के संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देशों के रूप में उल्लिखित उक्त दिशानिर्देशों का खंड 1.6 विनिर्दिष्ट करता है कि जब तक कि इन्हें पहले वापिस या संशोधित नहीं किया गया हो, दिशानिर्देश इसके जारी किए जाने की तारीख से 5 वर्षों के बाद समीक्षित और संशोधित किए जाएंगे। तदनुसार, उक्त संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश, 2013 9 सितंबर 2013 से लागू हुए थे और 8 सितंबर 2018 तक वैध थे।

3. एमओपीएसडब्ल्यू के पत्रों दिनांक 10 दिसंबर 2018, 15 अक्टूबर 2019, 25 अगस्त 2020 और 1 मार्च 2021 के अनुसरण में, “महापत्तनों में परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश, 2013” की वैधता समय-समय पर संशोधित की जाती रही है, इस प्राधिकरण ने समय-समय पर “महापत्तनों में परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश, 2013” की वैधता विस्तारित करते हुए आदेश अधिसूचित किए थे। पिछला विस्तार इस प्राधिकरण द्वारा आदेश सं. टीएमपी/18/2013—विविध दिनांक 16 मार्च 2021 द्वारा अधिसूचित किया गया था जिसमें इस प्राधिकरण ने उक्त दिशानिर्देशों की वैधता इसकी समाप्ति अर्थात् 9 मार्च 2021 से 8 सितंबर 2021 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, की तारीख से छह माह की अवधि के लिए विस्तारित की गई थी। उक्त आदेश 12 अप्रैल 2021 को राजपत्र सं. 153 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था।

4. संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देश महापत्तनों और बीओटी परिचालकों के साथ परामर्श में एमओपीएसडब्ल्यू द्वारा समीक्षा के अधीन हैं। संदर्भ प्रशुल्क दिशानिर्देशों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है। एमओपीएसडब्ल्यू ने अपने पत्र दिनांक पीआर-14019/16/2012—पीजी दिनांक 16 सितंबर 2021 द्वारा “महापत्तनों में परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु संशोधित दिशानिर्देश, 2013” की वैधता का और छह महीने की अवधि अर्थात् 8 मार्च 2022 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विस्तार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन संप्रेषित किया है।

5. तदनुसार, यह प्राधिकरण “महापत्तनों में परियोजनाओं के लिए प्रशुल्क के निर्धारण हेतु संशोधित दिशानिर्देश, 2013” की वैधता का इसकी समाप्ति की तारीख से और छह माह की अवधि के लिए अर्थात् 9 सितंबर 2021 से 8 मार्च 2022 अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, विस्तार अधिसूचित करता है।

टी.एस. बालासुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./342/2021-22]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, the 30th September, 2021

No. TAMP/18/2013-Misc.—In pursuance of communication No.PR-14019/16/2012-PG dated 16 September 2021 received from the Government of India in the Ministry of Ports, Shipping and Waterways, the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of the ‘Revised Guidelines for Determination for Tariff for Projects at Major Ports, 2013, notified vide Order No.TAMP/18/2013-Misc on 30 September 2013, as in the Order appended hereto.

Tariff Authority for Major Ports

No. TAMP/18/2013-Misc

QUORUM

(i) Shri. T.S. Balasubramanian, Member (Finance)

(ii) Shri. Sunil Kumar Singh, Member (Economic)

ORDER

(Passed on this 29th day of September 2021)

1.1. The Ministry of Ports, Shipping and Waterways (MOPSW) [the then Ministry of Shipping (MOS)] vide its communication No.PR-14019/16/2012-PG dated 9 September 2013 and 12 September 2013 issued Revised Guidelines for Determination for Tariff for Projects at Major Ports, 2013 under Section 111 of the Major Port Trusts, Act, 1963 (38 of 1963).

1.2. The said Guidelines for Determination for Tariff for Projects at Major Ports, 2013 were notified by TAMP in the Gazette of India on 30 September 2013 vide Gazette No. 254 in compliance of policy direction issued by the Government of India under section 111 of the Major Port Trusts Act, 1963. These guidelines came into effect from 9 September 2013.

2. Clause 1.6 of the said guidelines referred here as Reference Tariff Guidelines of 2013 stipulates that unless revoked or modified earlier, the Guidelines may be reviewed and revised after 5 years from the date of its issue. Accordingly, the said Reference Tariff Guidelines, 2013 which came into effect from 9 September 2013 was valid till 8 September 2018.

3. In pursuance of the MOPSW letters dated 10 December 2018, 15 October 2019, 25 August 2020 and 1 March 2021, extending the validity of “Guidelines for Determination for Tariff for Projects at Major Ports, 2013” from time to time, this Authority has notified the Orders extending the validity of the ‘Guidelines for Determination for Tariff for Projects at Major Ports, 2013’ from time to time. The last extension was notified by this Authority vide Order No.TAMP/18/2013-Misc dated 16 March 2021 wherein this Authority has extended the validity of the said Guidelines for a further period of six months from the date of its expiry i.e. from 9 March 2021 till 8 September 2021 or until further orders, whichever is earlier. The said Order was published in the Gazette of India on 12 April 2021 vide Gazette No.153.

4. The Reference Tariff Guidelines are under review by the MOPSW in consultation with the Major Port Trusts and BOT operators. The finalization of the Reference Tariff Guidelines may take some more time. The MOPSW vide its letter No.PR-14019/16/2012-PG dated 16 September 2021 has conveyed the approval of the Competent Authority to extend the validity of Revised Guidelines for Determination for Tariff for Projects at Major Ports, 2013” for a further period of six months i.e. till 8 March 2022 or till further orders whichever is earlier.

5. Accordingly, this Authority notifies the extension of the validity of the ‘Revised Guidelines for Determination of Tariff for Projects at Major Ports, 2013’ for a further period of six months from the date of its expiry i.e. from 9 September 2021 to 8 March 2022 or until further orders, whichever is earlier.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[ADVT.-III/4/Exty./342/2021-22]